ा परिचय देनें के स्थान पर घोर उदासीनता प्रकट की है, जबकि प्रकरण के सम्यक् वं यथा समय संचालन का प्रथम कर्तव्य प्रार्थीगण का होता है।

हस्तगत प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत करण में इस स्तर पर हुबहु चस्पा नहीं होते क्योंकि मूल वाद के मुख्य अनुतोष पर इस स्तर पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी गुणावगुण के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता व दादा की पैतृक पुश्तैनी आराजी थी या नहीं एवं उसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है या नहीं यह पूर्णतया साक्ष्य का विषय है जो कि साक्ष्यों द्वारा मूलवाद के पूर्ण निस्तारण पर ही साबित किया जा सकता है तथा इसके साथ ही प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह मानने का पर्याप्त हेतुक हो की वादग्रस्त आराजी खातेदार भीकाराम की पैतृक पुश्तैनी आराजी थी एवं उसमें प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित था या होगा उक्त विषय साक्ष्य से मूल वाद में निर्धारित होगा।

उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः हमारा स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के मुख्य अनुतोष पर इस स्तर पर गुणावगुण के आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी सम्बन्ध में प्रार्थीगण उपरोक्त तीनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करनें पूर्णतया असफल रहें हैं लिहाजा तीनों बिन्दु विरूद्ध प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है। अतः हस्तगत प्रार्थना-पत्र खारिज/अस्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला- ब्यावर(राज०)

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला- ब्यावर(राज०)